

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(343)/2019/

दिनांक:-

आदेश

निम्न कार्मिको को परिवीक्षाकाल अवधि में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र सं	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	अवकाश अवधि/प्रकार
1	हेमलता जाटव	एएनएम	प्रा0स्वा0के0 टोरडा (सिकराय)	01.03.17 से 05.03.17/5 दिवस का असाधारण अवकाश
2	पपीता मीना	एएनएम	प्रा0स्वा0के0 ठीकरिया ब्लॉक (सिकराय)	06.03.17 से 11.03.17/6 दिवस का असाधारण अवकाश
3	अनुराधा मीना	एएनएम	उप केन्द्र पाडली (सिकराय)	05.08.16 से 22.08.16/18 दिवस का असाधारण अवकाश

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

80-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 19/2/19

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(343)/2019/ 343

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिकराय, दौसा।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर